न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 63/17 GCMS NO 2017/00137

1. मांगीलाल
2. गोली
3. जगमोहन
4. मोहरवाई पिसरान भज्जू
5. मोहन सिह
6. धन सिह
7. अमर सिह
8. राजू
9. भूर सिह
10. अमरबाई पिसरान हरीलाल
11. सूरजबाई पत्नि हरीलाल समस्त जातियान माली निवासीयान मनोहरपुरा तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र छोटया जाति माली निवासी मनोहरपुरा तहसील करौली हाल निवासी तुल्लापुरा रेल्वे स्टेशन के पास कोटा जिला कोटा
2. गिरधारी पुत्र छोटया जाति माली निवासी मनोहरपुरा तहसील करौली जिला करौली (हजफ)
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 231/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.16 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली)
अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री बाहिद खान

दिनांक 22.01.26

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 3.6.16 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 रामस्वरूप ने दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 77,101,108,147,194,214,223,306,329 कुल किता 9 कुल रकबा 11 बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील करौली वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 की सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। उक्त आराजीयात मे हमारे द्वारा खुदवाया हुआ सामलाती पक्का कुआ स्थित है एवं ईजन से सिचाई शामलाती करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादी न0 1 व 2 मे आपस मे बनती नही है। अब हमारा शाामिल मे रहना संभव नही है। दिनांक 22.6.04 को वादी ने प्रतिवादीगण से बंटवारा कराने की कहा तो साफ इंकार कर दिया तथा वादी को काश्त करने मे रूकावट करने की धमकी दी गई। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त आराजीयात की मीटस एण्ड बाउन्डस से बंटवारा किया जाकर पृथक पृथक खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी की काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत नही करे। इस प्रकार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी /रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिकी किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी आरबेट्री व परवर्स रेस्पो0 रूहेदाद मिसल होने से काबिल मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात कुल किता 9 कुल रकबा 11 बीघा 7 विस्वा वाके ग्राम मनोहरपुरा तहसील करौली मे वादी रेस्पो0 रामस्वरूप का हक व हिस्सा मानकर दावा वादी विधि विरूद्व रूप से डिकी किया है। जो भारी कानूनी भूल है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नही किया है कि वादी रेस्पो0 न0 1 का उक्त आराजीयात मे कितना हक व हिस्सा है कुछ भी तय नही किया है ना ही वाद पत्र मे अंकित किया है। उसके बाबजूद भी वाद पत्र वादी डिकी करने मे कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिकी अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नही किया कि प्रतिवादी न0 1 भज्जू दिनांक 16.4.11 को फौत हो चुका था। वादी रेस्पो0 न0 1 ने दौराने दावा कभी भी भज्जू के मरने के बाद उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही दिनांक 3.6.16 तक नही की ना ही उसके वारिसान को किसी प्रकार की कोई सूचना न्यायालय द्वारा जारी की गई। दिनांक 3.6.16 को निर्णय पारित करने से पूर्व उसी दिन वादी रेस्पो0 न0 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी भज्जू के मरने का पेश किया था जिसमे भज्जू के वारिसान को रिकार्ड पर लेने की इस्तदुआ चाही गई थी। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे केवल भज्जू के मर जाने का तथ्य अंकित कर उसके वारिसान को बगैर रिकार्ड पर लिये अभिभाषक की बहस सुने जल्दबाजी मे निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। निर्णय व डिकी विधि विरूद्व होने से काबिले मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय राजस्व अभियान कैम्प सैमरदा मे न्याय आपके द्वार अभियान मे पारित किया है । लोक अदालत मे केवल राजीनामा से ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है। जिन प्रकरणो मे राजीनामा नही होता है उन प्रकरणो मे पक्षकारान को एवं उनके अभिभाषको को सुनकर ही विधि अनुसार निर्णय पारित किया जाता है। उक्त प्रकरण मे वाद पत्र एवं जबाब वाद के तथ्यानुसार 6 तनकीयात कायम की गई जिनमे से तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर था एवं तनकी संख्या 3 ता 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादी ने अपनी जिरह मे पूर्व से बंटवारा होना व वादी के हिस्से मे आई भूमि का भरोसी मीना को विकय कर देना व उसकी विकय राशि एक लाख रूपये स्वयं द्वारा प्राप्त कर लेना वादी/रेस्पो0 न0 1 द्वारा स्वीकृत तथ्य न्यायालय के समक्ष होने के उपरान्त भी वाद पत्र मे हुई साक्ष्य को बिना पढे बिना किसी साक्ष्य सबूत के केवल जमाबंदी राजस्व रिकार्ड के अनुसार निर्णय पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो तनकीयात कायम की है उनके साबित हुए बगैर ही बगैर किसी तनकी का निर्णय किये हुए सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो काबिले मंसूखी है। विवादित भूमि का बंटवारा हो जाने के पश्चात वादी रेस्पो0 न0 1 अपने हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र विकय कर दिया है चूकि खाता जमाबंदी मे शामलाती था इसलिए रेस्पो0 न0 2 गिरधारी व प्रतिवादी न0 1 भज्जू के उस

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बयानमे पर हस्ताक्षर इसलिए कराये गये कि वह खेत वादी रेस्पो0 न0 1 के हक व हिस्से का था और रेस्पो0 न0 2 गिरधारी व प्रतिवादी न0 1 भज्जू के हस्ताक्षर के बगैर पूरा खेत केता के नाम ट्रासफर नही हो सकता था। वादी/रेस्पो0 न0 1 अपने हिस्से के खेत को बेचकर उसका पैसा प्रतिफल राशि स्वयं प्राप्त कर मुश्तकिल तौर पर कोटा रहने चला गया क्योकि वह शुरू से ही रेल्वे मे नौकरी करता था। वादी/रेस्पो0 न0 1 मय परिवार कोटा रहता है। उसका विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही रहा है और मृतक भज्जू व गिरधारी ने अपने हक व हिस्से मे आई भूमि मे लाखो रूपये की लागत लगाकर कुआ खुदवाया है व इंजन रखवाया है एवं कुऐ का पानी सूखने के पश्चात बोर लगाकर जगीन का सिचित किया है। उक्त तथ्य मृतक भज्जू व गिरधारी द्वारा अपनी जबाबदेही मे किये गये है और उन तथ्यो की स्वीकृति वादी रेस्पो0 न0 1 ने अपनी साक्ष्य मे की है। वादी/रेस्पो0 न0 1 व प्रतिवादी न0 2 गिरधारी आपस मे साज किये हुए है हम अपीलांट को उक्त निर्णय व डिकी का भान तक नही होने दिया है वादी की साक्ष्य मे अपने हिस्से की भूमि के विकय की स्वीकृति है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नही कर वादी को उक्त भूमि मे हक व हिस्सा देकर वाद पत्र प्राथमिक डिकी किया जाकर विभाजन स्कीम तलब किये जाने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिले मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई । प्रतिवादी भज्जू दिनांक 16.4.11 को फौत हो गया था उसके वारिसान का रिकार्ड पर आना अत्यन्त आवश्यक था दावा वादी भज्जू के विरूद्व अवेट हो चुका था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर गौर नही कर भारी कानूनी भूल की है। मृतक भज्जू अधिनस्थ न्यायालय मे तारीख पेशी पर आता था उसके द्वारा कभी भी अपीलांटगण को प्रकरण के बारे मे नही बताया। वादी/रेस्पो0 न0 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट के विरूद्व धारा 212 आर टी एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके सम्मन अपीलांट को दिनांक 4.7.17 को प्राप्त होने पर सम्मनो को लेकर वकील से सम्पर्क करने पर वाद पत्र के निर्णय की जानकारी हुई अर्थात वकील के बताने पर प्रकरण की जानकारी हुई। जानकारी होने पर नकल व दस्तावेजात प्राप्त की जाकर जानकारी के आधार पर अपील मय धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.6.16 को अपास्त फरमाया जाकर वादी/रेस्पो0 न0 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी रूयेदाद मिसल है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर ही अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित की गई है। इस प्रकार अपीलांट अधिवक्ता यह कथन साबित नही है कि विवादित आराजीयात मे वादी/रेस्पो0 न0 1 का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही है जबकि सत्यता यह है कि वादग्रस्त आराजीयात मे वादी/रेस्पो0 सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजीयात मे वादी एवं प्रतिवादीगण का समान हिस्सा है। जिसकी खातेदारी पृथक पृथक कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे विधिवत रूप से बंटवारे का वाद पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि प्रतिवादी न0 1 के फौत हो जाने पर उसके कायम मुकामान की कार्यवाही नही की गई जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे स्पष्ट अंकित किया है कि प्रतिवादी न0 1 के वारिसान रिकार्ड पर आ गये है। इन्हे रिकार्ड पर लिया जाता है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता का

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

यह कथन साबित नही है कि लोक अदालत मे केवल राजीरामा के प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है जबकि सत्यता यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकरणो के त्वरित निस्तारण हेतु लोक अदालतो का समय समय पर आयोजन किया जाता है जिससे आमजन को राहत प्रदान हो सके। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो को सुना जाकर ही लोक अदालत मे वादग्रस्त आराजीयात की बंटवारा स्कीम तलब की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई है परन्तु प्रकरण को लोक अदालत मे नियत करने के कारण तनकीयात का निर्णय नही किया जा सका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री पारित की गई है कानूनन लोक अदालत मे निर्णित प्रकरणो की अपील चलने योग्य नही होती है ऐसे प्रकरणो को रिवीजन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय मे चुनौती दी जा सकती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 1 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अपील को बिलम्ब से पेश करने के संबंध मे किसी प्रकार के विधिक कारण का उल्लेख धारा 5 मियाद अधिनियम मे नही किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के विरूद्व पेश की गई है। वादग्रस्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खातेदारी की आराजीयात रही है। जिसका विधिवत बंटवारा नही होने के कारण वादी द्वारा बंटवारे का वाद पेश किया गया था। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत मे जाकर किया है। जबकि लोक अदालत मे केवल आपसी राजीनामे के प्रकरणो का निस्तारण किया जाता है। यह तथ्य समाचीन है कि राज्य सरकार द्वारा पक्षकारो की सुविधा हेतु समय समय पर लोक अदालतो का आयोजन किया जाता है। जहॉ तक बंटवारा स्कीम का प्रश्न है तो बंटवारा स्कीम वादी रामस्वरूप की मौजूदगी मे तैयार की गई है परन्तु वादी द्वारा असंतुष्ट होने के कारण बंटवारा स्कीम पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया है। कानूनन बंटवारा स्कीम मे वादी एवं प्रतिवादी की संतुष्टि आवश्यक है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बंटवारा स्कीम पर अपनी मौखिक आपत्ति दौराने बहस उठाई गई है तथा अपीलांट अधिवक्ता के कथन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात को प्रदर्श नही कराया है। जो आवश्यक है। अतः उभयपक्ष के विनम्र अनुरोध के आधार पर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है यहॉ यह तथ्य प्रश्नगत है कि यदि पक्षकारो को बंटवारा स्कीम पर किसी प्रकार की आपत्ति है तो वह अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 231/08 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 3.6.16 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजात पर उभयपक्ष को सुना जाकर प्रदर्श कायम किये जाकर तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पर उभयपक्ष को सुना जाकर विधि अनुसार प्रस्तुत आपत्तियो को निस्तारण करते हुए बंटवारा स्कीम अनुसार फाईनल डिक्री पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के यहॉ दिनांक 6.3.2026 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 22.1.26 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner